

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
पत्रांक 972 / 14-10 (बाराबंकी) दिनांक, फैजाबाद, सितम्बर 06 / 2018।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 द्वारा जनपद-बाराबंकी में एम0डी0आर0 11-सी बाराबंकी-देवां मार्ग किमी0 0.000 से किमी0 12.500 तक दांयी पटरी पर 0.1318 हे0 संरक्षित वन भूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासकीय पत्रांक 2220/14-2-2018-800 (90)/2018 दिनांक 28-08-2018 एवं आपका पत्रांक 452/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/30558/2017 दिनांक 28-08-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 856/14-10 (बाराबंकी) दिनांक 29-08-2018 द्वारा प्रकरण में वांछित सूचना/ अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी ने अपने कार्यालय पत्रांक 790/14-4-4 दिनांक 04-09-2018 द्वारा उक्त प्रकरण में अपेक्षित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख दो प्रतियों में सलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0सी0बाजपेयी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सा0 वा0, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद।

पु0स0 972/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी को उनके कार्यालय पत्रांक 790/14-4-4 दिनांक 04-09-2018 के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

(के0सी0बाजपेयी)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सा0 वा0, सरयू क्षेत्र, फैजाबाद।